अंतिम तिथि 31.10.2013

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 442/आउशि/छा.शा./13/ भोपाल दिनांक 24-08-2013

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   इंदोर/भोपाल/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/सागर/उज्जैन/नर्मदापुरम संभाग,
   मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः— मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पीएच.डी. हेतु छात्रवृति का प्रदाय ।

—0—

राज्य शासन व्दारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये पी.एच.डी.छात्रवृत्ति वर्ष 2013-14 हेतु छात्र–छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिय प्रदेश के प्रमुख समचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है जिसकी अंतिम तिथि 31.10.2013 निर्धारित की गई है ।

अतः छात्र–छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करते समये इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाये कि आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2013 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जायें । पत्र के साथ मार्गदर्शी सिध्दांत की प्रति एवं आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

(डॉ.व्ही.एस.निरंजन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

बेटी है तो कल है

निरंतर.................2

अंतिम तिथि 31.10.2013

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004
//विज्ञापन//

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी.के लिए छात्रवृत्ति हेतु ।

योजना वर्ष 2013–14

शिक्षा सत्र 2012–13 से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को पीएच.डी. के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 मे भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है । इस योजना के नियम/मार्गदर्शी सिध्दांत निम्नानुसार होंगे :–

1. **पात्रता:–** ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, तथा जिसने :–

अ. पीएच.डी. के शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय मे **शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय व्दारा जारी किया गया हो ।**

ब.. स्नातकोत्तर उपाधि मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों ।

स.. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।

द. छात्र–छात्राओं की पालकों की आय सीमा म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग व्दारा निर्धारित रूपये 3,00,000/–(रूपये तीन लाख) की अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।

य. शासकीय सेवक (शोधार्थी के पालक) के वार्षिक आय प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख के व्दारा जारी किया गया हो । (छात्र–छात्राओं का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा)

फ. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जिसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।

2. वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसका पंजीयन इन नियमों के जारी होने के बाद वर्ष 2013–14 मे हुआ हो ।

3. वि.वि. में पंजीयन अनिवार्य होगा । साथ ही यदि कोई आवेदक पूर्व से शोधरत है, तो तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन शोध की शेष (चयनित अवधि) के लिये छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जा सकेगा ।

4. छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से 3 वर्ष तक, अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की दिनॉक तक जो पहले हो, देय होगी ।

5. छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो वह कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा, और न अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेगा यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही हैं, तो उसे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिये पूर्व की छात्रवृत्ति छोड़ना पड़ेगी । अर्थात एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । अग्रेषणकर्ता अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन पत्रों को अग्रेषित करेंगें ।

बेटी है तो कल है

निरंतर 3

6. **चयन प्रकिया :–**

अ. शोधार्थियों का चयन केवल छात्रवृत्ति की संख्या की सीमा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूची में कमानुसार निर्धारित कोटा अथवा सीमा तक किया जावेगा ।

ब. यदि कोई आवेदक /शोधार्थी संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो वहाँ एम.फिल.धारक को एम.फिल में प्राप्त अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जावेगी ।

स. यदि दोनों आवेदक एम.फिल हों एवं समान अक हों, तो जिसका पंजीयन पूर्व का है उसे प्राथमिकता दी जावेगी ।

7. **छात्रवृत्ति का नवीनीकरणः– छात्रवृत्ति का नवीनीकरण संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय उच्च शिक्षा म.प्र.व्दारा किया जावेगा ।** छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिये विश्वविद्यालय/केन्द्र अध्यक्ष व्दारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अतिरिक्त संचालक को निम्न जानकारी शोधार्थी व्दारा दी जावेगी :–
1–.वार्षिक आय का प्रमाण पत्र 2–.पूर्व स्वीकृत छात्रवृत्ति आदेशों की प्रति
3–नियमित उपस्थिति पत्रक 4–संतोष जनक प्रगति प्रतिवेदन
5–उत्तम आचरण
6–पूर्व स्वीकृत छात्रवृत्ति का उपयोगिता प्रमाण–पत्र इसके बाद ही अगले वर्ष की छात्रवृत्ति देय होगी ।

8. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण उक्त आधार पर किया जाकर बजट की मॉग संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा व्दारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. से की जावेगी । जो आवश्यकतानुसार संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को आवश्यकतानुसार आवंटन कर दिया जावेगा । अतः आवेदन पत्र नवीनीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को ही भेजें ।

9. म.प्र. राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधार्थियों को उपरोक्तानुसार शोध कार्य का संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन, उपस्थिति पत्रक ,वार्षिक आय का प्रमाण पत्र पूर्व स्वीकृति छात्रवृत्ति आदेश की प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने निर्देशक/गाईड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल को विश्वविद्यालय के विनियम/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा । जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होने एवं सतोषजनक पाये जाने पर नवीनीकरण क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश व्दारा किया जाकर संबधित विश्वविद्यालय/केन्द्र अध्यक्ष को छात्रवृत्ति की राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से भेजी जावेगी । एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं केन्द्र अध्यक्ष व्दारा यह राशि शोधार्थियों को भुगतान कर जानकारी (प्राप्ति की रसीद के साथ) आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. को प्रस्तुत करेंगें । यह अनिवार्य होगा कि भुगतान प्राप्ति की सूचना संबंधित शोधार्थी आयुक्त, उच्च शिक्षा, को प्रेषित करेगा । यह शोधार्थी का भी उत्तरदायित्व होगा । आगामी नवीनीकरण अपेक्षित वितरण एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं । यह नवीनीकरण के साथ प्रमाणित होना चाहिये ।

10. आलोच्य छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति के 44 एवं अनुसूचित जनजाति के 56 विद्यार्थियों को प्रतिमाह रूपये 16,000/–(रूपये सोलह हजार मात्र) या समय समय पर शासन व्दारा निर्धारित दर से देय होगी । जिसका निम्नानुसार संकाय वार कोटा निर्धारित किया गया है ।

बेटी है तो कल है

निरंतर 4

स.क.	संकाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1.	विज्ञान संकाय (विज्ञान,जीवविज्ञान,गृहविज्ञान)	15	19	**34**
2.	वाणिज्य संकाय (वाणिज्य, प्रबंधन, विधि)	15	19	**34**
3.	कला संकाय (कला, सामाजिक विज्ञान)	14	18	**32**
	कुल योग	44	56	**100**

नोटः— 1. प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट सूची संकायवार बनाई जावेगी ।

2. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 1254/681/2013/38–2दिनांक 30/7/2013 के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ10–2/03/38–2 दिनांक 10/6/2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पीएच.डी. हेतु शोध छात्रवृत्ति योजना के नियम/मार्गदर्शन सिद्धांत की कंडिका 10 में राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति योजना में सीट(कोटा) भरने हेतु व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है ।

2.क अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न संकायों में वर्तमान प्रकिया का पालन यथावत रखा जायें, किन्तु किसी संकाय में यदि सीट (कोटा) निर्धारित तिथि तक भी नहीं भर पाती है, तब इसी वर्ग के अन्तर्गत अन्य संकाय में सीट (कोटा) भरने के पश्चात कोई प्रतीक्षा सूची में आवेदन कर्ता उपलब्ध है, तब गुणानुकम (मैरिट) के आधार पर वह सीट (कोटा) उनको आवंटित कर दी जावेगी ।

2.ख उपरोक्त "क" में उल्लेखित प्रकिया अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदनकर्ताओं पर भी लागू होगी ।

11 उपरोक्त मापदंडों में संशोधन विचाराधीन है, जो मान्य एवं बंधनकारी होगा । अतः आवेदक को आवेदन करने मात्र से कोई अधिकार निर्मित नहीं होगा । ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नही है, में आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

12. आवेदन पत्र मे दी गई जानकारी यदि किसी समय भी असत्य पाई गई तो उसके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

13. आवेदन पत्र इस कार्यालय में संयुक्त संचालक, छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल के नाम से दिनाँक 31.10.2013 तक प्राप्त हो जाना चाहिये । अन्य जानकारी www.mp.gov.in/highereducationmp उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है । साथ ही विभाग के क्षेत्रीय संभागीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो से भी प्राप्त की जा सकती है ।

14. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । इस संदर्भ में आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल में पदस्थ संयुक्त संचालक छात्रवृत्ति से भी दूरभाष कमाँक 0755–2555770 पर संपर्क किया जा सकता है ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा व्दारा अनुमोदित)

24.9.13

(डॉ. विभा शुक्ला)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा म.प्र.

बेटी है तो कल है

निरंतर 5

अंतिम तिथि 31.10.2013

नवीन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी. करने हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2013–14 ।

छात्र का फोटो
अभिप्रमाणित

संकाय ....विषय.............................. पंजीयन तिथि..

1.	शोध छात्र का पूरा नाम	
2.	पिता/अभिभावक का पूरा नाम	
3.	विद्यार्थी का पता स्थायी/ पत्र व्यवहार का पता दूरभाष क्र. सहित	
4.	विश्वविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक पंजीकृत है	
5.	पीएच.डी. का विषय, शीर्षक	
6.	पंजीयन क्रमॉक एवं दिनॉक छाया प्रति संलग्न करें ।	
7.	शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सत्यापित सूची संलग्न करें ।	

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष	अनुक्रमॉक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

8.	अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति कलेक्टर /सक्षम प्राधिकारी व्दारा दिया गया हो ।	
9.	म.प्र.का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो कलेक्टर/सक्षम अधिकारी व्दारा जारी किया गया हो ।	
10.	माता पिता अभिभावक की समस्त स्त्रोंतों से प्राप्त वार्षिक आय प्रमाण पत्र कलेक्टर/तहसीलदार/कार्यालय प्रमुख व्दारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति	
11.	उस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम जिसमें शिक्षा सत्र 2012–13 में परीक्षा उत्तीर्ण की हो । डिग्री /अंकसूची की प्रमाणित प्रति	
12.	पी.एच.डी. की अवधि	
13.	शोध केन्द्र का नाम	
14.	मार्गदर्शक प्रोफेसर/गाईड/सहमार्गदर्शक (को गाईड का विवरण) 1–.नाम 2–.महाविद्यालय/सेवारत संस्थानका नाम 3–. पद नाम	

बेटी है तो कल है

निरंतर 6

घोषणा

2 मैं एतद् व्दारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे व्दारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।

2. मैं यह भी घोषित करता हूँ /करती हूँ कि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शोध कार्य में संलग्न रहूँगा/रहूँगी और यह कि मैं किसी अन्य स्रोतों से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करुंगा/करुंगी ।

6. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ, कि मैं कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करुंगा/करुंगी, यदि राज्य शासन की छात्रवृत्ति में चयन होता है, और अन्य छात्रवृत्ति मिलती हैं, तो इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर ही अन्य छात्रवृत्ति ले सकूंगा/सकूंगी ।

7. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ, कि यदि मेरे व्दारा शोध अवधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दी गयी शर्तों के विपरीत कार्य करने पर शासन व्दारा शोध छात्रवृत्ति में दी गई राशि को मैं वापिस करुंगा/करुंगी ।

8. स्थान :–
दिनाँक :–
संलग्न :–सहपत्रों की संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... को दिनाँक ....को पीएच.डी.विषय.. ....संकाय..में नियमित/पूर्णकालिक छात्र के रूप में प्रवेश लिया गया है, और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैने इस आवेदन पत्र की पृविष्टियों की जाँच कर ली है, वे सही है, इनका शोध केन्द्र .... एवं पंजीयन तिथि................................ है ।

मैं यह प्रमाणित करता ह, कि उक्त शोधार्थी का कार्य व्यवहार एवं आचरण अच्छा/उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील

बेटी है तो कल है

—000—